प्रेस नोट **11/05/2024**

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से लूट से सम्बन्धित लगभग पौने चार लाख रुपये कीमती पीली व सफेद धातु के जेवरात, 1000 रुपये, तमन्चा व कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री अजय विक्रम सिंह के पर्वेक्षण में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 10.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कैलेण्डर तिराहा के पास से 02 शातिर अभियुक्तों प्रदीप कुमार पुत्र अशोक राम, नितेश पुत्र पिन्टू राम निवासीगण खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाक की नकिया बड़ी, एक अदद चेन सहित लाकेट, एक अदद मांग टीका, दो जोड़ी कान की झाली, चार अदद अंगूठी, तीन जोड़ी कान की बाली, एक जोड़ी कान की झाली लटकन वाली, तीन अदद नाक की कील, एक अदद नाक की नथुनी छोटी, दो अदद कान सहारा (पीली धातु), एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल, एक हजार रूपया, दो अदद पैन कार्ड, दो अदद आधार कार्ड, एक अदद लेडिज पर्स, एक अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटर साइकिल व दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर तथा दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग दिनांक 04.05.2024 को शाम के समय मुहम्मदाबाद गोहना मे लगी प्रदर्शनी देखने गये थे, वही पर प्रदर्शनी देखने दौरान ही हम लोगो की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो रोड के किनारे खड़ा था, जिसके साथ एक महिला एक छोटी बच्ची भी थी तथा महिला ने अपने कन्धे में पर्स लटकायी थी, फिर मैने यह बात प्रदीप से बतायी फिर जब वह व्यक्ति महिला तथा बच्ची को मोटर साइकिल पर बैठाकर मुहम्मदाबाद गोहना की तरफ जाने लगा तो हम दोनो अपनी मोटर साइकिल न0 UP54AR 6588 स्पेलेण्डर प्लस से उनका पीछा किया तथा कलेण्डर तिराहे से थोड़ा से आगे जाने पर सुनसान स्थान देखकर प्रदीप ने महिला का पर्स छीन लिया तथा हम लोग तेजी से मोटर साइकिल चलाकर पर्स लेकर भाग गये थे । जिस दिन से हमने यह छिनैती की है, उसी दिन से हम दोनो लोग उसे बेचने के लिए ग्राहक खोज रहे थें कि पकड़ लिये गये। इस संबंध में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 134/2024 धारा 392/411 भादवि, मु0अ0सं0 143/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया । तथा बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. प्रदीप कुमार पुत्र अशोक राम निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
2. नितेश पुत्र पिन्टू राम निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

बरामदगी-

1. दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर ।
2. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
3. एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल ।
4. एक हजार रूपया नगद, एक अदद लेडिज पर्स ।
5. एक अदद नाक की नकिया बड़ी, एक अदद चेन सहित लाकेट, एक अदद मांग टीका, दो जोड़ी कान की झाली, चार अदद अंगूठी, तीन जोड़ी कान की बाली, एक जोड़ी कान की झाली लटकन वाली, तीन अदद नाक की कील, एक अदद नाक की नथुनी छोटी, दो अदद कान सहारा (पीली धातु) ।
6. दो अदद पैन कार्ड, दो अदद आधार कार्ड ।
7. एक अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटर साइकिल (यूपी54एआर6588) ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 392/411 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

2. मु0अ0सं0 143/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 066/2022 धारा 411, 413, 414, 420 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 67/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 401/2022 धारा 411, 413, 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद धर्मेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 फूलचन्द्र यादव, हे0का0 उदय प्रकाश यादव, चालक हे0का0 कल्पनाथ यादव, हे0का0 मनोज शर्मा व का0 विजय यादव।

एसओजी प्रभारी मनोज सिंह, स्वाट टीम के हे0का0 सुशील कुमार यादव, हे0का0 नीरज शर्मा, का0 कमलेश ठाकुर, का0 विराट पटेल, का0 रोहित सिंह, का0 आदर्श मिश्रा, का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय व चालक हे0का0 शत्रुधन सिंह यादव।

एसओजी टीम के हे0का0 लायक हुसैन, का0 अविनाशधर दूबे, का0 पंकज कुमार यादव, का0 अनिरूद्ध सिंह, का0 अनुदेश दत्त बनौधा, का0 ऋषभ द्विवेदी।

सर्विलांस सेल के हे0का0 विवेक सिंह , का0 बृजेश मौर्य, का0 अश्विनी कुमार गौड़।

बी0पी0एड परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 11.05.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर टाउन इण्टर कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 144/24 धारा 419,420 भादवि व धारा 6/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण शोभाराम पुत्र महेश कुमार निवासी कपुरिसर थाना कालू, महेन्द्र सिंह पुत्र दीपसिंह निवासी सेवड़ा थाना बज्जू तहसील बज्जूखालसा जनपद बीकानेर राजस्थान को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

साइबर अपराध से संबंधित आनलाइन ठगी के 5000 रुपये पीड़ित के खाते में कराया गया वापस-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.05.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की टीम द्वारा एटीएम द्वारा आनलाइन ठगी के 5000 रुपये। जिसमें सार्थक प्रयास करते हुए आनलाइन ठगी के शिकार पीडित रजनीश राजभर पुत्र मोहनराम निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 5000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयासों के उपरांत उनके खाते में वापस कराया गया। पीड़ित द्वारा प्रफुल्लित मन से मऊ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। साइबर अपराध किसी भी प्रकार किसी के साथ घटित हो सकता है। जागरुक रहकर ही इस अपराध से बचा जा सकता है। अतः किसी प्रलोभन न आयें तथा अनजान लिंक पर क्लिक तथा किसी को भी ओटीपी इत्यादि अन्य जानकारियां किसी से साझा कदापि न करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

बरामदकर्ता टीम-

नि0 प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी, निरीक्षक अपराध हरेन्द्र सिंह, क0आ0 नितेश तिवारी, म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी।

लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 11.05.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया जा रहा है तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया जा रहा है एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।